



EMAIL/ REG. AD

विकसित भारत
अभियान
1947 TO 2047

कार्यालय मुख्य आयुक्त
Office of the Chief Commissioner
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur
(केंद्र कंट्रोल यूनिट)

फा.सं. 11-31(85)सीसीयू/जेजेड/2025/

दिनांक : 24-04-2025

ज्ञापन (MEMORANDUM)

निम्नलिखित उम्मीदवारों को वेतनमान लेवल-7 (रु 44900-142400) में एवं भारत सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जाने वाले भत्तों के साथ कार्यालय मुख्य आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सीमा शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर (राजस्थान) के अधीन आयुक्तालयों के क्षेत्राधिकार में निरीक्षक, सी.जी.एस.टी. (ग्रुप-ब, अराजपत्रित) के पद पर अस्थायी नियुक्ति प्रस्ताव दिया जाता है:-

S. No.	Name of Candidate S/Shri	Date of Birth	Category	Appointment Order No. & Date
1	NEERAJ SARASWAT	07-07-2001	UR	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/96594 dated 24.04.2025
2	RAKESH KUKNA	01-01-2001	OBC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/96595 dated 24.04.2025
3	PANKAJ SHEKHAWAT	06-12-1997	UR	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/96597 dated 24.04.2025
4	RAVI KUMAR YADAV	02-07-1995	OBC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/96599 dated 24.04.2025
5	YASH PRAJAPAT	11-10-2002	UR	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/96600 dated 24.04.2025
6	DEEPAK SWAMI	29-07-2001	OBC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/96602 dated 24.04.2025
7	AVINASH BAGARIYA	01-07-1997	OBC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/96603 dated 24.04.2025
8	TARUN CHITTORA	08-01-2000	EWS	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/96607 dated 24.04.2025
9	MAHAVIR SINGH	27-09-2003	EWS	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/96610 dated 24.04.2025
10	NEERAJ KUMAR GARG	01-11-1999	EWS	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/96614 dated 24.04.2025
11	JUGAL KISHOR	05-07-1994	SC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/96617 dated 24.04.2025
12	PRIYANKA	10-07-2000	SC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/96618 dated 24.04.2025
13	KARAN MAHAVER	11-10-1999	SC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/96620 dated 24.04.2025
14	VARUN LOKWANI	24-10-1994	UR (PH-HH)	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/96625 dated 24.04.2025
15	VIPIN KUMAR	10-04-1996	UR (PH- Others)	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/96626 dated 24.04.2025

उपरोक्त नियुक्ति एनकजर-"अ" में उल्लेखित एवं निम्नलिखित शर्तों के अनुसार रहेगी :-

- उपरोक्त नियुक्ति प्रस्ताव अनंतिम (Provisional) है तथा इस शर्त पर जारी किया जा रहा है कि यदि उनके पुलिस एवं चरित्र प्रमाण पत्र और उनके द्वारा प्रस्तुत जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र इत्यादि दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान या अन्यथा यदि कोई विपरीत तथ्य इस विभाग की जानकारी में आता है, तो उनकी इस विभाग में सेवा बिना किसी

New Central Revenue Building, Statue Circle, C-Scheme, Jaipur - 302005 (Raj.)

Phone: 0141-2385155; Fax: 0141-2385130, E-Mail: ccu-cexjpr@nic.in,Website: www.cgstjaipur.gov.in, Twitter Handle : @CGSTJAIPURZONE

नोटिस के या बिना उनको कारण बताये समाप्त कर दी जायेगी और इस प्रकार का असत्य तथ्य/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए विभाग भारतीय दंड संहिता के उपबन्धों के तहत नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करेगा।


2. उनका निरीक्षक पद पर नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष का परिवीक्षा काल रहेगा। उन्हें दो वर्ष के अन्दर स्थायीकरण हेतु निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी अन्यथा विभागीय परीक्षण नियमावली के तहत कार्यवाही की जा सकती है।
3. DoPT O.M. No. 28020/3/2018-Estt.(C) दिनांक 11.03.2019 के पैरा 9 एवं केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 19.03.2024 के अनुसार अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण के पश्चात एक अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण (Mandatory Induction Training) से गुजरना होगा, जिसे उत्तीर्ण करना अगली पदोन्नति के लिए आवश्यक होगा।
4. DoPT O.M. No. 28020/3/2018-Estt.(C) दिनांक 11.03.2019 के पैरा 15 और 18 के अनुसार उनकी परिवीक्षा की अवधि की उक्त दशा में ऐसी अवधि या अवधियों (कुल परिवीक्षा की अवधि की निर्धारित अवधि से दोगुनी से अधिक नहीं) के अनुसार बढ़ाई जा सकती है : (क) निर्धारित प्रशिक्षण से नहीं गुजरना, (ख) विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होना या (ग) किसी भी तरह की छुट्टी का लाभ उठाने के कारण परिवीक्षा के लिए निर्धारित कुल अवधि का 75% पूरा नहीं करना।
5. उनकी निरीक्षक श्रेणी में वरीयता भारत सरकार द्वारा जारी नियमों/अनुदेशों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।
6. वे राजस्थान राज्य में कहीं भी स्थानान्तरण के लिए बाध्य हैं तथा वित्त मंत्रालय, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली के पत्र संख्या ए.32022/19/2008-प्रशा.तृतीय.ए दिनांक 19.11.2010 के अनुसार उपरोक्त उम्मीदवारों की All India Transfer Liability रहेगी।
7. उपरोक्त अनंतिम नियुक्ति प्रस्ताव माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली में दायर OA No. 1102/2025 के निर्णय के अधीन रहेगी (The aforesaid appointment on provisional basis is subject to the outcome of OA No. 1102/2025 filed before the Hon'ble CAT, Principal Bench, New Delhi).
8. यदि वे संलग्न एनक्जर-“अ” एवं उपरोक्त वर्णित शर्तों को स्वीकार करते हों तो दिनांक 26.05.2025 को या इससे पहले अद्योहस्ताक्षरकर्ता को निरीक्षक पद पर अपनी कार्यग्रहण रिपोर्ट प्रस्तुत करें। ऐसा न करने पर यह नियुक्ति प्रस्ताव रद्द समझा जायेगा। इस पद पर कार्यभार सम्भालने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं है।

संलग्न:- एनक्जर-“अ”


(चेतन कुमार जैन)
प्रधान आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. निजी प्रति पंजीकृत डाक द्वारा।
2. अवर सचिव, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, Gr. Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi - 110066 को उनके पत्र F. No. A-12034/2/2024-Ad-IIIB दिनांक 08.04.2025 एवं ईमेल दिनांक 09.04.2025 के संदर्भ में प्रेषित।
3. प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं के.उ.शु. आयुक्तालय जयपुर/अलवर/जोधपुर/उदयपुर/अंकेक्षण जयपुर/अंकेक्षण जोधपुर/अपील्स जयपुर/अपील्स जोधपुर/सीमा शुल्क, जयपुर।
4. अधीक्षक (प्रशासन/सतर्कता), मुख्य आयुक्त कार्यालय, सी.जी.एस.टी. एवं के.उ.शु. (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर।
5. मु.ले.अधिकारी/आहरण एवं वितरण अधिकारी/प्रशा. अधिकारी (स्था./मु.) अधीक्षक (सत.), सी.जी.एस.टी. एवं के.उ.शु. आयुक्तालय जयपुर/अलवर/जोधपुर/उदयपुर/अंकेक्षण जयपुर/अंकेक्षण जोधपुर/अपील्स जयपुर/अपील्स जोधपुर/सीमा शुल्क, जयपुर।
6. वेतन एवं लेखा अधिकारी, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सीमा शुल्क, जयपुर।
7. निजी पत्रावली/ सेवा पुस्तिका / गार्ड फाईल / नोटिस बोर्ड/वरीयता सूची।
8. महा सचिव, निरीक्षक एसोसिएशन, जयपुर।
9. वेबमास्टर, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


(चेतन कुमार जैन)
प्रधान आयुक्त

कार्यालय मुख्य आयुक्त
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर

सेवा की शर्तें

- (1) किसी भी केन्द्रीय सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार या तो-
 - (क) भारत का नागरिक हों, या
 - (ख) नेपाल की प्रजा हो, या
 - (ग) भूटान की प्रजा हो, या
 - (घ) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के इरादे से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत में आया हो, या
 - (ङ.) भारत में स्थायी निवास के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, केन्या, उगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रवजन कर आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो।

– किन्तु साथ में शर्त यह है कि उपर्युक्त श्रेणी (ख), (ग) और (घ) से संबद्ध उम्मीदवार को भारत सरकार ने पात्रता प्रमाण-पत्र प्रदान कर दिया हो।
- (2) पिछले तीन वर्ष के दौरान भारत सरकार या अन्य किसी राज्य सरकार के अधीन यदि उन्होंने कोई नौकरी की हो तो उन्हें लिखित रूप में इसकी पूरी सूचना देनी चाहिए/या नौकरी कर रहे हों तो उन्हें लिखित रूप में इस कार्यालय को पूरी सूचना देनी चाहिए तथा इस कार्यालय में कार्यग्रहण करने से पूर्व उन्हें वर्तमान विभाग से त्यागपत्र देना होगा, जिसका स्वीकृत प्रमाण-पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई उम्मीदवार उक्त तथ्य को स्पष्ट नहीं करता है तो भविष्य में होने वाली समस्त कार्यवाहियों का वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
- (3) उन्हें कार्यग्रहण के समय दिए गए फार्म में निम्नलिखित घोषणा लिखित रूप में लेनी होगी :
" मैं घोषणा करता हूँ कि :-
(क) मैं विवाहित/अविवाहित हूँ।
(ख) मैं विवाहित हूँ और मेरे एक ही जीवित पत्नी है।
– मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई सूचना सही है। मुझे मालूम है कि यदि मेरी नियुक्ति के बाद यह घोषणा गलत पायी जाये तो मुझे नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है।
- (4) उनको चेतावनी दी जाती है कि किसी भी बात के संबंध में गलत सूचना देने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- (5) उनको यह भी नोट कर लेना चाहिए कि उनको इस विभाग में प्रचलित तथा सरकार द्वारा समस्त कर्मचारियों पर समय-समय पर लागू किये गये अनुशासन और आचरण संबंधी नियमों की अनुपालना करनी होगी।
- (6) किसी दूसरे विभाग या कार्यालय या अन्यत्र नियुक्ति से संबंधित उनके किसी आवेदन पत्र को अग्रेषित करने या रोकने का पूर्ण विवेकाधिकार विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को प्राप्त है।
- (7) उन्हें भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होगी।
- (8) उनको कार्यग्रहण के समय दिए गए फार्म में वचन देना होगा :-
"मैं सी.जी.एस.टी., केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, जयपुर परिक्षेत्र, जयपुर के अधिकार क्षेत्र में कहीं भी जैसा कि वह समय-समय पर गठित किया जाये, नौकरी करने को सहमत हूँ।
- (9) उनको इस विभाग में बनाए रखना इस बात पर निर्भर करेगा कि उनका चरित्र अच्छा हो।
- (10) उनको विभागीय परीक्षा नियमावली के तहत निर्धारित विभागीय स्थाईकरण परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
- (11) उनको यह भी नोट कर लेना चाहिए कि अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग से संबंधित अभ्यर्थी की नियुक्ति अनन्तिम (Provisional) है, जब तक कि संबंधित जाति/वर्ग प्रमाण-पत्र उचित माध्यम द्वारा सत्यापित नहीं हो जाता। यदि सत्यापन में यह पाया जाता है कि प्रत्याशी/अभ्यर्थी का अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग से संबंधित दावा असत्य/झूठा है तो इस तरह के अभ्यर्थी की सेवाएँ बिना पूर्वाग्रह व बिना किसी अग्रिम कारण बताए तुरंत समाप्त कर दी जाएगी और इस प्रकार का असत्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के तहत नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।
- (12) All new entrants, who join the Central Government Service will have option either to be governed by the Contributory Pension Systems introduced vide Ministry's letter F. No. 12/104/2003-Coord. (Circular No. 72/03) dated 22.12.2003 or Unified Pension Scheme introduced vide Notification dated 24.01.2025 by the Ministry of Finance (Department of Financial Service), New Delhi.